"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 264] रायपुर, मंगलवार, दिनांक 4 जुलाई 2017 —— आषाढ़ 13, शक 1939

छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग
दाऊ कल्याण सिंह भवन (पुराना मंत्रालय) के समीप, रायपुर

प्रकरण क्रमांक एफ-68-45/तीन (दो)/न.पा./व्यय लेखा/2015/2877 रायपुर, दिनांक 16 जून 2017

1. रूचि जायसवाल, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगरपालिका परिषद् प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, छ.ग.
2. बसंती देवी गुप्ता, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगरपालिका परिषद् प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, छ.ग.
3. ममता कंचन सोनी, अभ्यर्थी अध्यक्ष पद आम निर्वाचन दिसम्बर 2014, नगरपालिका परिषद् प्रतापपुर, जिला सूरजपुर, छ.ग.

आदेश

(छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के अंतर्गत)
पारित दिनांक 16 जून, 2017

1. यह प्रकरण कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), सूरजपुर के प्रतिवेदन दिनांक 21 मई 2015 के आधार पर छत्तीसगढ़ नगरपालिका अधिनियम 1961 (एतत्पश्चात् संक्षेप में अधिनियम) की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-ख के तहत प्रारंभ किया गया है.

2. प्रकरण का संक्षिप्त विवरण यह है कि नगरपालिका परिषद् प्रतापपुर जिला सूरजपुर के अध्यक्ष पद के लिये दिसम्बर 2014 में सम्पन्न आम निर्वाचन में कुल 3 अभ्यर्थियों ने निर्वाचन लड़ा था. निर्वाचन परिणाम दिनांक 4 जनवरी 2015 को घोषित किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), सूरजपुर ने राज्य निर्वाचन आयोग को अपने अ. शास. पत्र दिनांक 21 मई 2015 के द्वारा निर्धारित प्रपत्र में जानकारी के साथ प्रतिवेदित किया कि नगरपालिका परिषद् प्रतापपुर के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में अध्यक्ष पद की अभ्यर्थियों रूचि जायसवाल, बसंती देवी गुप्ता एवं ममता कंचन सोनी द्वारा निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि 4 जनवरी 2015 के पश्चात् नियत समयावधि में विधि की अपेक्षानुसार निर्वाचन व्यय का लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास दाखिल नहीं किया गया है.

3. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), सूरजपुर के प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अभ्यर्थियों रूचि जायसवाल, बसंती देवी गुप्ता एवं ममता कंचन सोनी को अधिनियम की धारा 32-ग सहपठित धारा 32-क एवं 32-ख के अन्तर्गत सूचना प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर इस बात की हेतुक दर्शित करने के लिए कारण बताओ सूचना जारी की गई कि वे उक्त निर्वाचन व्यय लेखा अपेक्षित समय के भीतर विहित रीति में अधिसूचित अधिकारी के पास दाखिल करने में क्यों असफल रहे तथा क्यों न उनके विरुद्ध अधिनियम की धारा 32-ग के अन्तर्गत कार्रवाई करते हुए उनको पांच वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए इस प्रकार चुने जाने तथा नगरपालिका का अध्यक्ष या पार्षद होने के लिए निरर्हित किया जाए. कारण बताओ सूचना अभ्यर्थियों रूचि जायसवाल, बसंती देवी गुप्ता एवं ममता कंचन सोनी को तामील की गई. अभ्यर्थी ममता कंचन सोनी को कारण बताओ सूचना तामील होने के

पश्चात् भी उनके द्वारा न तो निर्धारित अवधि में और न ही आज पर्यन्त अपना जवाब अथवा अभ्यावेदन प्रस्तुत किया गया. ऐसी स्थिति में यह माना गया कि अभ्यर्थी ममता कंचन सोनी को अपने पक्ष के समर्थन में कुछ नहीं कहना है एवं तदनुसार अभ्यर्थी ममता कंचन सोनी के विरूद्ध दिनांक 6-12-2016 को एक पक्षीय कार्यवाही की गई.

4. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी रूंचि जायसवाल ने अपना जवाब दिनांक 31-7-2015 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया. जिसमें यह उल्लेख किया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा दिनांक 28-1-2015 को मुख्य नगरपालिका अधिकारी के पास जमा किया था जिसे मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा किया गया, बताया गया. जवाब के साथ पावती एवं मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपंचायत प्रतापपुर जिला सूरजपुर के पत्र क्रमांक स्था/न. प./2015/115, दिनांक 11-2-2015 की छायाप्रति भी संलग्न की गई. अभ्यर्थी रूचि जायसवाल ने आयोग के समक्ष शपथपूर्वक कथन में उन्होंने अपने लिखित जवाब को ही अपना तर्क बताया. अभ्यर्थी द्वारा शपथपूर्वक कथन में यह स्वीकार किया गया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपंचायत, प्रतापपुर के कार्यालय में दिनांक 28-1-2015 को जमा किया था. उन्हें यह ज्ञात था कि निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में जमा करना होता है परन्तु किसके पास जमा करना होता है इसकी जानकारी उन्हें नहीं थी. मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपंचायत, प्रतापपुर के निर्देशानुसार उन्होंने अपना निर्वाचन व्यय लेखा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपंचायत, प्रतापपुर के पास जमा किया था.

5. कारण बताओ सूचना के सन्दर्भ में अभ्यर्थी बसंती देवी गुप्ता ने अपना जवाब दिनांक 3-8-2015 को आयोग कार्यालय में प्रस्तुत किया. जिसमें यह उल्लेख किया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयसीमा में मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रतापपुर के पास जमा किया था जिसे मुख्य नगरपालिका अधिकारी द्वारा उनके पत्र क्रमांक/स्था./न. पा./2015-115 दिनांक 11-2-2015 द्वारा जिला निर्वाचन अधिकारी के पास जमा किया गया. जवाब के साथ पावती एवं उक्त पत्र की प्रतिलिपि भी संलग्न की गई. अभ्यर्थी बसंती देवी गुप्ता को सुनवाई हेतु दिनांक 10 जनवरी 2017 को आहूत किया गया जिसके सन्दर्भ में उन्होंने निर्धारित दिनांक को स्वास्थगत कारण से उपस्थित होने में असमर्थता व्यक्त करते हुए अपना लिखित आवेदन दिनांक 22-12-2016 आयोग कार्यालय में दिनांक 29-12-2016 को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), जिला सूरजपुर के पत्र क्रमांक 485/स्था. निर्वा./न. पा./2015, दिनांक 12-1-2015 के आदेशानुसार प्रतापपुर नगरपंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी व सूरजपुर जिले के सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी के माध्यम से अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा मुख्य नगरपालिका अधिकारी के कार्यालय में प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसके परिपालन में अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 19-1-2015 को निर्वाचन व्यय लेखा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपंचायत प्रतापपुर के समक्ष प्रस्तुत किया गया जिसे विहित समयावधि में अधिसूचित अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाना माना जाना पूर्णत: विधि अनुकूल है, जवाब के साथ पावती एवं संदर्भित पत्रों की प्रतिलिपि भी संलग्न की गई. अभ्यर्थी को पुन: निर्धारित दिनांक 13 फरवरी 2017 को आयोग कार्यालय में आहूत किया गया परन्तु वे सूचना प्राप्ति के उपरान्त उपस्थित नहीं हुई, अत: यह मानते हुए कि उन्हें अपने जवाब के समर्थन में और कुछ नहीं कहना है, प्रकरण में एक पक्षीय कार्रवाई की गई.

6. अभ्यर्थियों रूचि जायसवाल एवं बसंती देवी गुप्ता के जवाब पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), सूरजपुर का अभिमत प्राप्त किया गया. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), सूरजपुर द्वारा अ. शा. पत्र क्रमांक 470, दिनांक 8-6-2016 में अभिमत दिया गया कि अभ्यर्थीगण रूचि जायसवाल एवं बसंती देवी गुप्ता द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा क्रमश: दिनांक 28-1-2015 तथा 19-1-2015 को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपंचायत, प्रतापपुर के कार्यालय में जमा किया गया. उक्त निर्वाचन व्यय लेखा को मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपंचायत, प्रतापपुर द्वारा उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक स्था./न. प./2015/115, दिनांक 11-2-2015 द्वारा उनके कार्यालय के नोडल अधिकारी (व्यय लेखा) के समक्ष प्रस्तुत किया गया. इस प्रकार अभ्यर्थियों द्वारा निर्धारित समयसीमा 3 फरवरी 2015 तक निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी सूरजपुर के कार्यालय में जमा करना था किन्तु उनके द्वारा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपंचायत, प्रतापपुर के कार्यालय में जमा किया एवं निर्धारित समयसीमा के व्यतीत हो जाने के बाद मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपंचायत, प्रतापपुर द्वारा अभ्यर्थियों का निर्वाचन व्यय लेखा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में जमा किया गया. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन कार्यालय द्वारा अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा मुख्य नगरपालिका अधिकारी को प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करना एवं अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत जवाब पर दिये गये अभिमत में पाई गई विसंगतियों के संबंध में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), सूरजपुर से वस्तुस्थिति की जानकारी प्राप्त की गई. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), सूरजपुर द्वारा आयोग को प्रेषित जानकारी में उनके कार्यालय के पत्र क्रमांक 485/स्था. निर्वा./न. पा./2015, दिनांक 12-1-2015 के आदेशानुसार प्रतापपुर नगरपंचायत के मुख्य नगरपालिका अधिकारी व सूरजपुर जिले के सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी के माध्यम से अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु निर्देशित करने के संबंध में अपर कलेक्टर एवं उप जिला निर्वाचन अधिकारी सूरजपुर श्री एम. एल. धृतलहरे तथा श्री बी. तिर्की, जिला कोषालय अधिकारी (नोडल अधिकारी व्यय लेखा), सूरजपुर द्वारा लापरवाही बरतने एवं आयोग को भ्रामक जानकारी भेजने के लिए जिम्मेदार होने का उल्लेख करते हुए उन्हें चेतावनी पत्र जारी करते हुए भविष्य के लिए सचेत किया गया.

7. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), सूरजपुर के प्रतिवेदन तथा प्रकरण से संबंधित उपलब्ध अन्य अभिलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि नगरपालिका परिषद् प्रतापपुर के आम निर्वाचन दिसम्बर 2014 में भाग लेने वाली अभ्यर्थियों रूचि जायसवाल, बसंती देवी गुप्ता एवं ममता कंचन सोनी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा अधिसूचित अधिकारी कार्यालय के निर्देशानुसार नोडल अधिकारी (व्यय लेखा) के समक्ष प्रस्तुत किया गया.

7.1 अभ्यर्थी बसंती देवी गुप्ता ने अपने जवाब में उल्लेख किया कि उन्होंने अपना निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में 19-1-2015 को कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), सूरजपुर के निर्देशानुसार मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपंचायत, प्रतापपुर के कार्यालय में जमा किया.

7.2 अभ्यर्थी रूचि जायसवाल ने अपने जवाब एवं आयोग के समक्ष शपथपूर्वक कथन में यह उल्लेख किया कि उन्होंने निर्वाचन व्यय लेखा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपंचायत, प्रतापपुर के निर्देशानुसार उनके कार्यालय में दिनांक 28-1-2015 को जमा किया था. उन्हें यह ज्ञात था कि निर्वाचन व्यय लेखा निर्धारित समयावधि में जमा करना होता है परन्तु यह नहीं ज्ञात था कि किसके पास प्रस्तुत करना होता है. प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), सूरजपुर द्वारा अभिमत दिया गया कि अभ्यर्थीगण रूचि जायसवाल एवं बसंती देवी गुप्ता द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा मुख्य नगरपालिका अधिकारी, नगरपंचायत, प्रतापपुर के कार्यालय में जमा किया गया. प्रकरण में यह उल्लेखनीय है कि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), सूरजपुर के कार्यालय के प्रश्नाधीन आदेश द्वारा सूरजपुर जिले के सर्व मुख्य नगरपालिका अधिकारी के समक्ष निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत करने हेतु अध्यक्ष पद के अभ्यर्थियों को निर्देशित किया गया था, के संबंध में हुई लापरवाही एवं विसंगतिपूर्ण भ्रामक जानकारी आयोग को भेजने के लिए उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं जिला कोषालय अधिकारी (नोडल अधिकारी व्यय लेखा) को जिम्मेदार पाया गया एवं उन्हें चेतावनी जारी कर भविष्य के लिए इस प्रकार की पुनरावृत्ति न करने के लिए सचेत किया गया है जिसकी प्रतिलिपि शासन एवं संभागीय कमिश्नर तथा संचालक कोष एवं लेखा को प्रेषित की गई है.

7.3 उपर्युक्त विवेचना के आधार पर इस बात का समाधान हो जाता है कि अभ्यर्थीगण बसंती देवी गुप्ता एवं रूचि जायसवाल द्वारा प्रस्तुत किया गया निर्वाचन व्यय लेखा विधि की अपेक्षा के अनुरूप प्रस्तुत मान्य किया जाना चाहिए. तदनुसार अभ्यर्थियों बसंती देवी गुप्ता एवं रूचि जायसवाल के विरूद्ध प्रकरण समाप्त किया जाता है.

7.4 आयोग द्वारा प्रकरण में कारण बताओ सूचना का जवाब प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्थी ममता कंचन सोनी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्रवाई की गई. कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका) के प्रतिवेदन दिनांक 24-2-2015 में अभ्यर्थियों बसंती देवी गुप्ता एवं रूचि जायसवाल के साथ ही अभ्यर्थी ममता कंचन सोनी द्वारा निर्वाचन व्यय लेखा समयसीमा में दाखिल किये जाने का उल्लेख किया गया है अत: इसका लाभ अभ्यर्थी ममता कंचन सोनी को भी प्राप्त होने के फलस्वरूप उनके द्वारा प्रस्तुत निर्वाचन व्यय लेखा को विधि अनुरूप प्रस्तुत मान्य किया जाना चाहिए. तदनुसार अभ्यर्थी ममता कंचन सोनी के विरूद्ध भी प्रकरण समाप्त किया जाता है.

7.5 जैसा कि इस आदेश के पैरा 7.2 में उल्लेखित है कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), सूरजपुर ने इस संबंध में संबंधित अधिकारियों को भविष्य में त्रुटि नहीं करने के निर्देश जारी किए हैं तथापि कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी (नगरपालिका निर्वाचन), सूरजपुर कार्यालय में ऐसी उचित व्यवस्था बनायें कि भविष्य में इसकी पुनरावृत्ति नहीं हो. अधिनियम की धारा 32-ग की अपेक्षानुसार इस आदेश का प्रकाशन छत्तीसगढ राजपत्र में कराया जाए.

8. यह आदेश छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की मोहर से तारीख 16 जून, 2017 को जारी किया गया.

हस्ता./
(राम सिंह)
राज्य निर्वाचन आयुक्त.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2017.